न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा (बुलन्दशहर)।
सत्र परीक्षण संख्या : 566/2019
सरकार बनाम समीर आदि।

दिनांकः 28.11.2024

अभियुक्त विजय जेल से उपस्थित आया। उसके द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह कहा गया कि वह सत्र परीक्षण संख्या 566/2019 सरकार बनाम समीर आदि मु0अ0सं0 462/2019 धारा 394, 411 भा0दं0सं0 थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर में दिनांक 20.08.2019 से जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध है। उसकी जमानत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–1, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 29.02.2024 को पारित आदेशानुसार 60,000/–रूपये (साठ हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में निष्पादित हो, दाखिल होने पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उसका कोई भी पैरोकार नहीं है। वह अत्यन्त ही गरीब एवं निर्धन है तथा आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जमानतदार की व्यवस्था/जमानती दाखिल कर पाने में असमर्थ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था SMWP(Criminal) No.4/2021 in Repolicy Strategy for Grant Bail के बिन्दु संख्या–5 के आलोक में अंतरिम/अस्थायी जमानत स्वीकृत करते हुये, उसकी जमानत शर्तो में शिथिलीकरण करते हुये उसे 15 दिवस के अन्दर दो के स्थान पर 01 जमानती दाखिल करने की शर्ते पर जिला कारागार से रिहा करने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त मामले में अभियुक्त विजय की जमानत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–1, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 29.02.2024 को 60,000/–रूपये (साठ हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण शर्तो के अधीन स्वीकृत की गयी है। अभियुक्त की और से उपस्थित अधिवक्ता का कहना है कि वह इस समय दो जमानत प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ है। अभियुक्त को एक जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त विधि व्यवस्था SMWP(Criminal) No.4/2021 in Repolicy Strategy for Grant Bail के बिन्दु संख्या–5 व 6 में यह दिशा निर्देश जारी किये गये है कि–

5. In Cases where the undertrial or convict requests that he can furnish bail bond or sureties once released, then in an appropriate case, the Court may consider granting temporary bail for a specified period to the accused so that he can furnish bail bond or sureties.

Additional Session Judge,
Khurja, Bulandshahr.

6. If the bail bonds are not furnished within one month from the date of grant bail, the concerned Court may suo moto take up the case and consider whether the conditions of bail require modification/relaxation.

इस सम्बन्ध में दं0प्र0सं0 की धारा 440 में भी यह प्राविधान किया गया है कि–

(1) इस अध्याय के अधीन निष्पादित प्रत्येक बन्धपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रख कर नियत की जायेगी और अत्यधिक नहीं होगी।

(2) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित जमानत घटाई जाये।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा धारा 440 दं0प्र0सं0 के विधिक प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त विजय को इस शर्त पर एक जमानत और बन्धपत्र पूर्व आदेशानुसार निष्पादित करने पर रिहा किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है कि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात एक माह के अन्दर दूसरी जमानत प्रस्तुत करेगा।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विजय द्वारा पूर्व जमानत आदेश दिनांक 29.02.2024 के प्रकाश में रूपये 60,000/– (साठ हजार रूपये) का स्व बन्धपत्र एवं एक प्रतिभू दाखिल करने पर इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि अभियुक्त जेल से रिहा होने के उपरान्त आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में दूसरी जमानत प्रस्तुत करेगा।

आदेश की एक प्रति अधीक्षक जिला कारागार, बुलन्दशहर को अभियुक्त को सूचना देने हेतु प्रेषित की जाये।

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 28.11.2024

राजकुमार शर्मा–आशुलिपिक।

Additional Session Judge,
Khurja, Bulandshahr.

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2024.11.30 19:27:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court